

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक १७/आवंटन/

सं० सं०-०५/उ० नि० ब० (आवंटन) ०५/२०१८

पटना, दिनांक 16.1.19

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-लघु उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001-प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड-23-2851.00.102.0001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.20.03 प्रशिक्षण व्यय मद से दिनांक 29.11.2018 को आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक के अवसर पर आहार एवं चाय आदि पर हुए व्यय की राशि रू० 32,450/- (बत्तीस हजार चार सौ पचास रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन उद्योग निदेशालय के ज्ञापांक 252, दिनांक 14.01.19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 32,450/- (बत्तीस हजार चार सौ पचास रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-लघु उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001-प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड-23-2851.00.102.0001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.20.03 प्रशिक्षण व्यय मद से विकलित होगा।

3

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 256। पि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-


(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 97/आवटन

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 16.1.19




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 97/आवटन

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/श्री एच0 रहमान, महाप्रबंधक, मेसर्स आम्रपाली बैंक्रेट प्रा0 लि0, स्काडा बिजनेस सेंटर, सोन भवन, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 16.1.19



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।